न्यायालय, सहायक कलक्टर एवं पदेन उपखण्ड अधिकारी, जैतारण (जिला–पाली) राज०

पीठासीन अधिकारी : डॉ. भास्कर बिश्नोई, आर०ए०एस०
राजस्व वाद संख्या : 04/2014
GCMS NO. : 2014/00329

–:: वादीगण :–

1. चौथाराम पुत्र लालाराम जाति– मेघवाल, निवासी– ढाणी निम्बैटी, तहसील– जैतारण, जिला– पाली राज०।
2. छोटी देवी पत्नि मोहन जाति– मेघवाल, निवासी– ढाणी निम्बैटी, तहसील– जैतारण, जिला– पाली राज०।

बनाम

–:: प्रतिवादीगण :–

1. कैलाशराम पुत्र मोहनलाल
2. पप्पुराम पुत्र मूलाराम
3. ओमप्रकाश पुत्र लालाराम
4. लालाराम पुत्र मूलाराम
5. बाबूराम पुत्र मूलाराम
6. मोहन पुत्र पूरखाराम
7. मूलाराम पुत्र रामाजी जातियान– माली निवासीगण– आयन्दा भाटा, तहसील– जैतारण, जिला पाली राज०।
8. तहसीलदार, जैतारण।
9. पटवारी, पटवार हल्का रास प्रथम तहसील– जैतारण जिला पाली राज०।

राजस्व वाद बाबत् तकास्मा आराजी एवं स्थाई निषेधाज्ञा अन्तर्गत धारा 53 एवं 92ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 **तारीख रजू:. 02.01.2014**

उपस्थितः–

1. श्री हरिओम पारिक, अधिवक्ता, वादीगण।
2. श्री देवाराम कटारिया, अधिवक्ता, प्रतिवादीगण।

–:: निर्णय ::– **दिनॉकः– 27/12/2021**

वकील मय वादीगण ने एक राजस्व वाद बाबत् बंटवाड़ा एवं स्थाई निषेधाज्ञा अन्तर्गत धारा 53 एवं 92ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955, के तहत् इस आशय का पेश किया कि सरहद मौजा ग्राम रास प्रथम में पटवार हल्का रास प्रथम में खसरा नम्बर 1489 व 1489/2, रकबा 5 बीघा 07 बिस्वा किस्म बारानी दोयम व खसरा नम्बर 1489/1 रकबा 04 बीघा 17 बिस्वा व खसरा नम्बर 1489/3 रकबा 0–13 बिस्वा किस्म बारानी अव्वल आई हुई। नकल जमाबन्दी व नक्शा ट्रेस की प्रतिलिपी प्रार्थना–पत्र के साथ पेश हैं। जो इसका एक भाग माना जावें तथा उक्त कृषि भूमि को हम प्रार्थना पत्र के मुतादावीया आराजी के नाम से सम्बोधित किया जायेगा। वादीगण अनपढ़ होने के कारण सरकारी नक्शे में स्वयं की कब्जा काश्त की खातेदारी जमीन का माप एवं [illegible] करवा कर राजस्व नक्शें में तरमीम नहीं करवाई। प्रतिवीगण संख्या 1 से 7 द्वारा वादीगण के कब्जे काश्त की कृषि भूमि पर पक्के इमारत खड़े कर निर्माण करवा रहे है। सायलान स्वयं की खातेदार की कृषि भूमि का बाई मिट्स एवं बाउण्डस् के बंटवाड़ा करवा कर नक्शे में तरमीम करवा कर खाता अलग करवाना चाहते है। इसलिए दावा तकास्मा का पेश है व लगान किया जावें। वादीगण की कब्जे काश्त में प्रतिवादीगण संख्या 1 से 7 तक द्वारा वादीगण को बेदखल कर उसकी कब्जा

Signature Not Verified
Digitally signed by Bhaskar Bishnoi
Date: 2022.01.24 18:29:59 IST
Reason: Self Attested

सहायक कलक्टर पदेन
उपखण्ड अधिकारी
जैतारण (पाली)

कृषि भूमि पर पक्का निर्माण करवाना चाहते है। वादीगण ने इस सम्बन्ध में सीलदार, जैताण की एक लिखित रिपोर्ट दिनांक 17.12.2013 को दी, किन्तु वारी ने कोई नाप चौप नहीं किया गया है और न ही बंटवाड़ा के कागजात गार किये गये। प्रतिवादीगण संख्या बल में अधिक होनें के कारण बाहूबल के धार पर वादीगण की कब्जे काश्त में एवं खातेदारी की जमीन में पक्के निर्माण ार्य कर रहे है। जिससें लड़ाई झगड़ा व टन्टा फिसाद होगा व दावे की बहुलता ोगी। वादीगण की बार बार खर्चे से जैर बार होना पड़ेगा। इसलिये वादीगण के क तकास्मा व स्थाई निषेधाज्ञा की डिक्री खिलाफ प्रतिवादीगण के जारी की जावें व वादीगण के कब्जे काश्त में दखलदांजी व दस्तांदाजी करने सं हमेशा के वास्ते प्रतिवादीगण व उनके वारिसान नौकर, चाकर, हाल, एजैन्ट, मशीनरी के प्रयोग को रोका जावें। प्रार्थना–पत्र में गैरसायलान संख्या 08 व 09 जो सरकारी नुमायदे है। अतः वाद पत्र पेश करने के पूर्व दो माह पूर्व धारा 80(2) सीपीसी का नोटिस दिया जाना का प्रावधान है। चूंकि उक्त वादपत्र आवश्यक प्रकृति का होने का कारण बिना नोटिस दिये ही यह उक्त वाद पत्र प्रस्तुत किया जा रहा है। अलग से आज्ञा हेतू प्रार्थना–पत्र दावे के साथ पेश है। दावा तकास्मा का होने के कारण तहसीलदार जैतारण जो लैण्ड होल्डर आवश्यक पक्षकार बनाया गया है। बिनाय दावा दिनांक 17.12.2013 की प्रति वादीगण द्वारा वादीगण के कब्जे काश्त में दखलदांजी करने पर बमुकाम निम्बैटी में पैदा जो अन्दर म्याद पेश है।

वादीगण का वाद दर्ज रजिस्टर किया प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन्नस् वास्ते किये गयें। प्रतिवादीगण सं. 02 व 07 की और से वकालतनामा पेश हुये। प्रतिवादी संख्या 01 व 03 से 06 को बार बार आवाजें दिलाई गई, बावजूद सम्मनस् सूचना/तामिल के अनुपस्थित रहनें से इनके विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही की गई। प्रतिवादीगण सं. 02 व 07 को जवाब दावा पेश करने हेतू अनेकानेक एवं अंतिम से अंतिम अवसर दिये जाने के बावजूद जवाब दावा पेश नहीं करने से जवाब दावा बन्द किया गया। वकील वादी शहादत पेश नहीं करना चाहते, शहादत वादी बन्द की गई। बहस उभयपक्ष अधिवक्तागण की सुनी गई।

पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया। प्रस्तुत वाद–पत्र मय शपथ–पत्र, दस्तावेजात एवं जवाब दावे का गहनता से अध्ययन किया गया। वादपत्र के अवलोकन से स्पष्ट है कि वादीगण द्वारा वादग्रस्त आराजी ग्राम रास प्रथम के खसरा संख्या 1489/2, 1489/1, 1489/3 एवं 1489 का बाई मिट्स एण्ड बाउण्डस् बंटवाड़ा कर तरमीम करने का अनुतोष चाहा गया [illegible] आराजी की जमाबन्दी ग्राम रास प्रथम सम्वत् 207[illegible] के अनुसार खसरा संख्या 1489/2 रकबा 0.8660 हैक्टयर में वादी चौथाराम पुत्र [illegible] एकमात्र खातेदार है। इसी प्रकार खसरा संख्या 1489/1 रकबा 0.7[illegible] हैक्टयर व खसरा संख्या 1489/3 रकबा 0.1052 हैक्टयर में वादीया छोटिया पत्नी मोहन एकमात्र खातेदार है तथा खसरा संख्या 1489 सार्वजनिक गैर मुमकिन पहाड़ किस्म की सरकारी भूमि है। इस प्रकार वादीगण अपनी आराजी के एकमात्र

Signature Not Verified
Digitally signed by Bhaskar Bishnoi
Date: 2022.01.24 18:29:59 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलक्टर पदेन
उपखण्ड अधिकारी
जैतारण (पाली)

तेदार काश्तकार हैं तथा कोई भी प्रतिवादी वादग्रस्त आराजी का सहखातेदार नहीं इस प्रकार हस्तगत वाद धारा 53 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के धेक प्रावधानों के अनुसार पोषणीय नहीं होने से अस्वीकार एवं खारिज किया ना विधिसंगत होगा।

–: आदेश :–

तः उपर्युक्त विवेचन के आलोक में निष्कर्षतः वाद वादीगण अंतर्गत धारा 53, 2ए, राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 बखूबी साबित नहीं होने से स्वीकार/खारिज किया जाता है। पत्रावली फैसल शुमार होकर संख्या से एक कम ोकर दाखिल दफ्तर हो।

सहायक कलक्टर एवं पदेन
उपखण्ड अधिकारी जैतारण
(जिला–पाली)

निर्णय आज दिनॉक 27/12/2021 को सर–ए–इजलास सुनाया गया।

सहायक कलक्टर एवं पदेन
उपखण्ड अधिकारी जैतारण
(जिला–पाली)

Signature Not Verified

Digitally signed by Bhaskar Bishnoi
Date: 2022.01.24 18:29:59 IST
Reason: SelfAttested